



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234877
CG-DL-E-06042022-234877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1555]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/ चैत्र 15, 1944

No. 1555]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1624(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5232 (अ), तारीख 16 दिसम्बर 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में NH220 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.840 (तिरिं से राइरंगपुर खंड) तक के 2-लेन चौड़ीकरण और मजबूत करना, इसके द्वारा ऐसी भूमि अधिग्रहण करने के अपने इरादे के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01 मार्च 2022 " को "समाज" और "धरित्री" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-220 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 35.840 (तिरिं से राइरंगपुर खंड) तक भूमि के खंड के भीतर आने वाली संरचना के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: मयूरभंज			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: तिरिं				
	गांव का नाम: सानडालिमा				
1	1339	निजी	घरबारी	0.0101174	धातकीकुई सैन, डबल्यू/ओ-सुरेंद्र नेत् सैन, केस्ट-कोहलो, भिलझ-निजगांव ()
			कुल	0.0101174	

[फा. सं. RO/BBSR/11011/220/ORS/2019-20/618/BPD/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1624(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways numbers S.O.5232(E) dated 16.12.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Widening and strengthening to two lane with paved shoulder from Km. 0.000 to Km. 35.840 Km. of NH-220 (Tiring to Rairangpur Section) in the district of MAYURBHANJ in the state of ODISHA;

And whereas the substance of the said notification has been published in Odiya daily “Samaj” on dated 01.03.2022 and Odiya daily “Dharitri” on dated 01.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without falling structure, within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 35.840 Km. of NH220 (Tiring to Rairangpur section) on the National Highway No. 220 in the district of MAYURBHANJ in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: MAYURBHANJ			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Tiring				
	Village: Sanadalima				
1	1339	Private	Gharabari	0.0101174	Dhathkikui Saiyan, W/o-Surendra Nath Saiyan, caste-Kohlo, village-Nijagaon
			TOTAL	0.0101174	

[F. No. RO/BBSR/11011/220/ORS/2019-20/618/BPD/3D]

RAJESH GUPTA, Director